तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22-5-19	प्रार्थी श्री रामकुमार पुत्र शिवलाल जाति ब्राहम्ण सा. बेहरवाला तह0 टिब्बी द्वारा प्रार्थना पत्र अंर्न्तगत धारा 144 सीपीसी जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया। दर्ज रजिस्टर किया जावे। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार टिब्बी द्वारा चक 3 के.आर.डब्ल्यु के प0नं0 225/316 कि0नं0 5,6, व प0नं0 226/316 कि0नं0 1,10 कुल 1.012 है0 भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ 1955 से पूर्व जोहड़ दर्ज थी जिसके लिए रेफरेंस प्रस्तुत किया गया जिस पर मा0 न्यायालय (अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ) द्वारा दिनांक 30.10.15 को निर्णय पारित कर उक्त वादग्रस्त आराजी पुनः गै0मु0 जोहड़ दर्ज करने हेतु मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त रैफरेंस राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत होने पर मण्डल द्वारा अप्रार्थीगण को सुनवाई हेतु नोटिस प्रेषित किये गये लेकिन उक्त नोटिस की तामील अप्रार्थीगण को नहीं हुई, लेकिन मा0 मण्डल द्वारा रजि. ए.डी. की तामील होना मानकर दिनांक 27.7.17 को अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित करते हुए वादग्रस्त आराजी को जोहड़ पायतन दर्ज करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश की प्रति मा0 न्यायालय को प्राप्त होने पर मा0 न्यायालय द्वारा तहसीलदार को उक्त आदेश की पालना करने हेतु पत्र प्रेषित किया। जिसके आधार पर तहसीलदार द्वारा राजस्व अभिलेख में अप्रार्थीगण का नाम कलमजन कर जोहड़ पायतन दर्ज कर दिया। जिसका प्रार्थी को इल्म होने पर मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष एकपक्षीय कार्यवाही होने के विरूद्ध सुनवाई हेतु प्रा0पत्र प्रस्तुत किया जिसे मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा दिनांक 22.01.19 को स्वीकार करते हुए मा0 राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पारित एकपक्षीय आदेश दिनांक 27.7.17 को निरस्त कर दिया तथा रैफरेंस पुनः नम्बर पर कायम कर दिया। उक्त आदेशों की पालना में रेफरेंस के विचाराधीन रहते हुए वादग्रस्त आराजी को पूर्वानुसार अप्रार्थीगण के नाम दर्ज करने के आदेश जारी करने का निवेदन किया गया। राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में तर्क किया कि प्रकरण में कार्यवाही विधिवत की गयी है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मा0 राजस्व मण्डल अजमेर में राज्य पक्ष की ओर से दायर रेफरेंस प्रकरण में मा. राजस्व मण्डल द्वारा रेफरेंस दिनांक 27.7.17 को स्वीकार कर प्रश्नगत भूमि को पूर्वानुसार जोहड़ पायतन दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश प्राप्त होने पर इस न्यायालय द्वारा पत्रांक एडीएम/रीडर/रेफरेंस/1231 दिनांक 27.10.17 के तहसीलदार राजस्व टिब्बी को प्रति भेजी	

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

गयी। जिसकी पालना में तहसीलदार द्वारा प्रश्नगत भूमि चक 3 बीआरडब्ल्यु की 1.012 है0 को जरिये इन्तकाल नं0 1044 दिनांक 20.8.18 को गै0मु0 जोहड़ पायतन दर्ज कर दिया। राजस्व मण्डल के उक्त आदेश 27.7.17 में अप्रार्थीगण के विरूद्ध पारित एक पक्षीय आदेश को राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 22.01.19 द्वारा अप्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 को स्वीकार मा0मण्डल की एकल पीठ द्वारा रेफरेंस सं0 4598/2016 बअनवानी राजस्थान सरकार बनाम रामचन्द्र बगैरह में पारित आलोच्य निर्णय दिनांक 27.7.17 को निरस्त कर मूल रेफरेंस पुनः नम्बर पर लिया जाकर किसी भी एकल पीठ के समक्ष वास्ते सुनवाई हेतु रखने के आदेश पारित किये गये।

उक्तानुसार मा. राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 27.7.17 को निरस्त कर रेफरेंस पुनः नम्बर पर लेने के आदेश पारित होने से स्पष्ट है कि राज्य पक्ष द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत रेफरेंस वर्तमान में विचाराधीन है। जिसका अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में मा. राजस्व मण्डल अजमेर के पूर्व आदेश दिनांक 27.7.17 के आधार पर दर्ज इन्तकाल सं0 1044 चक 3 बीआरडब्ल्यु का वर्तमान में कोई अस्तित्व नहीं है।

अतः प्रार्थीगण रामकुमार का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 144 सीपीसी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार टिब्बी को निर्देश दिये जाते हैं कि मा0 राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 27.7.17 की पालना में दर्ज इन्तकाल सं0 1044 चक 3 बीआरडब्ल्यु की पूर्व स्थिति बहाल कर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। आदेशिका की प्रति तहसीलदार टिब्बी को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

22.4.19

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Official